27/2/26

पत्रावली वास्ते निर्णय प्रा.पत्र धारा 10 CPC (दिनांक 12.8.15) हेतु पेश हुई। उभयपक्ष को सुना। प्रा.पत्र धारा 10 CPC (दिनांक 12.8.15) स्वीकार किया जाकर यह वाद व्यवहार न्यायालय के निर्णय होने तक लम्बित रखा जाता है। नंबर से [illegible] चिन्हित निर्णय शामिल किया गया।

आदेश सुनाया गया।

GCMS
2015/00134

Signature Not Verified

Digitally signed by Bharat Jai Prakash Meena
Date: 2026.02.27 18:38:55 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
सूरतगढ़ (राज.)

फर्द अहकाम

(प्र.सं. 110/2015 देवी लाल वगैरह बनाम मो. मुश्ताक व अन्य)

GCMS:- 2015/00134

नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए	तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए

27/2/2026

आज यह पत्रावली वास्ते निर्णय प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 10 व्यवहार प्रक्रिया संहिता हेतु प्रस्तुत हुई। पक्षकारान के अभिभाषकगण उपस्थित। पत्रावली का अवलोकन किया। पत्रावली के, संक्षेप में, तथ्य इस प्रकार हैं कि वादीगण द्वारा एक वाद अन्तर्गत धारा 183 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 प्रस्तुत कर निवेदन किया गया कि उनकी खरीदशुदा व कब्जाशुदा भूमि वाके चक 103 आर.डी.एल. तहसील सूरतगढ़ के खाता सं. 4/29 के पत्थर नं. 127/32 (25) के किला नं. 2 से 5/1.012 है0, 6/1 में 0.136 है0, 7/2 में 0.127 है0, 8 से 10/0.759 है0 = 2.024 है0 कमाण्ड–अनकमाण्ड एवं खाता सं. 15/34 के पत्थर नं. 127/24 (26) के किला नं. 1/1 में 0.076 है0, 2 से 5/1.012 है0, 7 से 9/0.759 है0, 10/1 में 0.088 है0 = 1.935 है0, पत्थर नं. 127/32 (25) के किला नं. 1 = 0.253 है0, पत्थर नं. 127/31 (12) के किला नं. 21 से 24/1.012 है0, 25/0.240 है0 = 1.252 है0 व पत्थर नं. 127/23 (11) के किला नं. 24/0.047 है0, 25/0.253 है0 = 0.300 है0, कुल 3.740 है0 कमाण्ड–अनकमाण्ड, इस प्रकार उक्त दोनों खातों की कुल 5.764 है0 भूमि पर प्रतिवादी सं. 1 ने नाजायज कब्जा कर लिया है, इसलिए प्रतिवादी सं. 1 को बेदखल कर कब्जा वादीगण को दिलाये जाने का अनुतोष चाहा गया। वाद प्रस्तुत होने पर प्रतिवादी को तलब कर जवाब प्राप्त किया गया। प्रतिवादी सं. 1 ने जवाबदावा प्रस्तुत कर वाद कथनों से इन्कार किया व भूमि स्वयं व अन्य व्यक्तियों द्वारा इकरारनामा के आधार पर खरीद किया जाना बताया एवं विशिष्ट अनुपालना का वाद सक्षम न्यायालय में विचाराधीन बताते हुए मामला Res Juris का बताते हुए वर्तमान वाद लम्बित रखने हेतु प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 10 व्यवहार प्रक्रिया संहिता प्रस्तुत किया। उक्त वादग्रस्त भूमि हेतु व्यवहार न्यायालय का स्थगन भी अंकित किया जिसका जवाब प्राप्त कर तर्क सुने गये।

विद्वान अभिभाषक प्रतिवादी सं. 1 (प्रार्थी) ने प्रार्थना–पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए लिखित तर्कों का उल्लेख किया व प्रार्थना–पत्र स्वीकार करने की प्रार्थना की। विद्वान अभिभाषक वादीगण (अप्रार्थीगण) ने जवाब प्रार्थना–पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए तर्क दिया कि धारा 10 व्यवहार प्रक्रिया संहिता की परिधि में वर्तमान वाद नहीं आता। पक्षकार समान नहीं हैं। विवादित भूमि समान नहीं है। मात्र वाद को लम्बित रखने के लिए प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत होना बताते हुए प्रार्थना–पत्र प्रतिवादी सं. 1 (प्रार्थी) निरस्त करने की प्रार्थना की।

उभय पक्ष के तर्क व लिखित तर्क का अवलोकन करने से पाया जाता है कि वादी सं. 1 व प्रतिवादी सं. 1 एवं अन्य काश्तकारों के मध्य उक्त खातों की भूमि के सम्बन्ध में इकरारनामा के आधार पर विशिष्ट अनुपालना (Specific performance contract) का वाद सक्षम न्यायालय अपर सैशन न्यायाधीश फास्ट ट्रेक अनूपगढ़ मुख्यालय सूरतगढ़ के समक्ष विचाराधीन है जिसमें वादी सं. 1 भी

Signature Not Verified
Digitally signed by Bharat Jai Prakash Meena
Date: 2026.02.27 18:38:55 IST
Reason: SelfAttested

क्रमशः .....

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सूरतगढ़

उपखण्ड अधिकारी
सूरतगढ़ (राज.)

फर्द अहकाम

(प्र.सं. 110/2015 देवी लाल वगैरह बनाम मो. मुश्ताक व अन्य)

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
27/02/26	पक्षकार है। भूमि कुल खाते की अविभाजित एवं संयुक्त काश्त की है। इस मामले में स्थगन भी सक्षम न्यायालय का है। व्यवहार न्यायालय में वाद जैरकार होने पर राजस्व न्यायालय का वाद स्थगित किये जाने का न्याय निर्णय प्रकाशित आर.आर.डी. 1993 पेज सं. 289, जिसके अनुसार "Suit for specific performance pending in civil court-Subsequent suit between the parties in a revenue court in which the decision binges on the question of sale-purchase of the land, the matter in issue is directly and substantially the same as in the suit in the civil court – Proceeding in revenue court will be stayed." इस मामले में प्रभावी होता है। इसी प्रकार न्याय निर्णय आर.आर.डी. 1992 पेज सं. 226 (B) Para 7 भी इसमें प्रभावशील है। कोर्ट न्याय हित में भी आवश्यक होने पर व्यवहार न्यायालय में वाद राजस्व न्यायालय में वादाधीन भूमि के सम्बन्ध में व्यवहार न्यायालय के निर्णय तक स्थगित करने की शक्ति रखता है। न्याय हित में धारा 151 व्यवहार प्रक्रिया संहिता का भी सहारा लिया जा सकता है। उपरोक्त विवेचन अनुसार प्रार्थना–पत्र प्रार्थी (प्रतिवादी सं. 1) दिनांक 12.08.2015 अन्तर्गत धारा 10 व्यवहार प्रक्रिया संहिता स्वीकार किया जाता है एवं आदेश दिया जाता है कि प्रकरण संख्या 110/2015 अनवानी देवी लाल वगैरह बनाम मो. मुश्ताक व अन्य आदेश व्यवहार न्यायालय के निर्णय तक लम्बित रखा जाता है। प्रकरण इसी अनुसार लम्बित कर नम्बर से कम किया जावे। उक्त भूमि के सम्बन्ध में व्यवहार न्यायालय का निर्णय होने पर पक्षकार वर्तमान वाद पुनः पेशी में लेने का प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत कर व्यवहार न्यायालय के निर्णय के अनुसरण में पत्रावली पुनः पेशी में सुनवाई में लेकर कार्यवाही करवाने को स्वतंत्र है। तब तक पत्रावली नम्बर से कम कर रिकॉर्ड में जमा करवाई जावे। आदेश सुनाया गया। Signature Not Verified Digitally signed by Bharat Jai Prakash Meena Date: 2026.02.27 18:38:55 IST Reason: SelfAttested उपखण्ड अधिकारी सूरतगढ़ उपखण्ड अधिकारी सूरतगढ़ (राज.)	